

15.11.2019

अतः प्रस्तुत चालान खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश परिवादी चालान अन्तर्गत- 258 किया जाता
है।पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

सी०जे०एम०- मेरठ।

His is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy please refer to certified copy